

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)


नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई, 2019

अधिसूचना सं 03/2019-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गैटे)

सा.का.नि. (अ) - केंद्रीय उत्पादशुल्क नियमावली, 2017 के नियम 3 के उपनियम (1) के साथ पठित केंद्रीय उत्पादशुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 2 की उपवाक्य (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों के रूप में नियुक्त करता है और उनको उक्त सारणी के कॉलम (4) में निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए उक्त सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों की सभी शक्तियां सौंपता है।

क्र. सं.	अधिकारी	केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारी जिनकी शक्तियों का उपयोग किया जाना है	उद्देश्य
1.	2.	3.	4.
1	प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमाशुल्क, न्हावा सेवा-II, जेएनसीएच	प्रधान आयुक्त/आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क	एससीएन सं. फा. सं. DR/BZU/F/04/2006 दिनांक 13.05.2018 जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के प्रावधान निहित हैं और जिसे मैसर्स टी. एम. सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य को जारी किया गया है, का न्यायनिर्णयन करना।

(फा. सं. 116/08/2019-CX-3)


(माजिद खान)

उप आयुक्त (सीएक्स-3)